मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–132

लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के चतुर्थ चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा दद्रौल विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 18 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना

18 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन, 13 मई को होगा मतदान

दिनांक 17 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के चतुर्थ चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 136–दद्रौल विधानसभा उप निर्वाचन–2024 के लिए 18 अप्रैल, 2024 (बृहस्पतिवार) को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे के मध्य किये जा सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में चतुर्थ चरण के अंतर्गत 13 लोकसभा सीटों में 27–शाहजहॉपुर (अ0जा0), 28–खीरी, 29–धौरहरा, 30–सीतापुर, 31–हरदोई(अ0जा0), 32–मिश्रिख (अ0जा0), 33–उन्नाव, 40–फर्रूखाबाद, 41–इटावा (अ0जा0), 42–कन्नौज, 43–कानपुर, 44–अकबरपुर, 56–बहराइच (अ0जा0) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तथा 136–दद्रौल विधान सभा के उप निर्वाचन–2024 हेतु चुनाव सम्पन्न किया जाना है। चतुर्थ चरण की 13 लोकसभा सीटों में 08 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 05 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चतुर्थ चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश के शाहजहॉपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, फर्रूखाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच सहित 13 जिलों के अंतर्गत आते हैं। 136–दद्रौल विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर जनपद में आता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के चतुर्थ चरण

की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2024 (बृहस्पतिवार) निर्धारित है। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल (शुक्रवार) को की जायेगी। 29 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके उपरान्त इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची अन्तिम हो जायेगी। चतुर्थ चरण का मतदान 13 मई, 2024 (सोमवार) को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की 04 जून, 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जायेगी।

उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2.46 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.15 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 16334 मतदान केन्द्र तथा 26588 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं तथा 136–दद्रौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3.72 लाख मतदाता है, जिसमें 1.99 लाख पुरुष मतदाता तथा 1.72 लाख महिला मतदाता है।

उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये गये है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 12,500 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। विधानसभा उप चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 10,000 रुपये तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के प्रत्याशी को 5000 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म–ए तथा फार्म–बी अंतिम तिथि 29 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करना होगा।

———————